प्रेषक,

राजेन्द्र प्रताप पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 16 मार्च, 2021

विषय- निर्माणाधीन जिला कारागार, श्रावस्ती के निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21236/नम-3/श्रावस्ती-(42)/जी0एस0टी0/2020, दिनांक 26.08.2020 एवं पत्र संख्या-32181/नम-3/42-श्रावस्ती/2012, दिनांक 31.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया निर्माणाधीन जिला कारागार, श्रावस्ती के निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 1,67,03,250/- को सम्मिलित करते हुए परियोजना की पुनरीक्षित लागत कुल रू0 1,00,71,92,250/- पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 1,67,03,250/- (रूपया एक करोड़ सड़सठ लाख तीन हजार दो सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करती हैं कि जी0एस0टी0 की गणना के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

3- प्रश्नगत योजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक-19.08.2013 एवं पुनरीक्षित स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक-04.10.2016 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-08-कारागार का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/ मद में उपलब्ध बजट से ही वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-764/दस/2021, दिनांक-15 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेन्द्र प्रताप पाण्डेय
विशेष सचिव।

------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-33/2021/394(1)/22-4-2021-तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी, श्रावस्ती।

(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।